न्यायालय विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,
(हाल कार्यालय-राजस्थान आवासन मण्डल: जयपुर)

क्रमांक :- 2058

दिनांक : 29-12-88

विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग सत्यमेव जयते राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या :- 1- 10/83(5)(अ)

2- 10/83(5)(ब)

3- 10/83 (27)

4- 10/83(51)(81)(82)

5- 10/83(63)

6- 10/83(69)

7- 10/83(75)

8- 10/83(89)

9- 10/83(97)

विषय:- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवासीय कॉलोनी बनाने हेतु अवाप्ति के अधीन भूमि का आंशिक अवार्ड ग्राम श्योपुर, सांगानेर, बम्बाला का उपरोक्त वादों की कुल भूमि 71 बीघा 03 बिस्वा ।

पीठासीन अधिकारी :- 1- श्री बी.एस. शर्मा, विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान - जयपुर ।

पक्षकारान् :- 1- श्री बाबू खाँ पुत्र भूरे खाँ ।

2- श्रीमती भौंरी देवी पत्नि गोपाल जी छीपा ।

3- श्री लादूराम, नानगराम, रामू, नैनूराम पुत्र गंगल्या ।

4- श्री गुल्ला पुत्र टोडू ।

5- श्री भौरीलाल, गोपाल, पेमा, मोहन पुत्र रामपाल ।

6- श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र रघुनाथ 1/2 हि. महादेव पुत्र चन्दा 1/2 हिस्सा ।

7- चौथू पुत्र टोडू ।

8- भौरीलाल, राधेश्याम, गोपाल पुत्र नारायण ।

9- श्री यशपाल पुत्र अमरनाथ भाटिया व जगदीप पुत्र राजकुमार भाटिया ।

10- राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के जरिये श्री एल०सी० गुप्ता एवं श्री सी०एस० वर्मा, भूमि अवाप्ति अधिकारी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः:----2.

1- राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात आवासीय कॉलोनी हेतु ग्राम प्रतापपुर, सांगानेर, बम्बाला एवं खोखावास जिला जयपुर की 1213 बीघा 17 बिस्वा भूमि अवाप्त करने के आदेश राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 जिसे आगे अधिनियम शब्द से सम्बोधित किया जायेगा की धारा 4 के अन्तर्गत दिये गये जिसकी अधिसूचना क्रमांक प07[3]नविआ/83 दिनांक 22-8-83 को जारी की गई जो राजस्थान राजपत्र में दिनांक 22-8-83 को प्रकाशित की गई ।

2- तत्पश्चात् राज्य सरकार ने भूमि की अवाप्ति की अति आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 की धारा 17 की उपधारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में धारा 9 "बी" उपधारा [1] में उल्लेखित नोटिस प्रकाशित हो जाने की तिथि से 15 दिवस की समाप्ति पर उपरोक्त विज्ञप्ति में उल्लेखित भूमि का कब्जा लेने हेतु विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को विज्ञप्ति क्रमांक प07[20]नविआ/111/83 दिनांक 19 मार्च, 1984 जो राजस्थान राज-पत्र के भाग 1[ख] में दिनांक 19 मार्च, 1984 को प्रकाशित हुई, के द्वारा अधिकृत किया ।

3- धारा 17[4] की अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात् नियमानुसार सम्बन्धित भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु अधिनियम की धारा 9[1] को नोटिस दिनांक 23-5-84 को जारी किया गया । उक्त नोटिस जारी होने के 15 दिवस पश्चात् भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की गई, जिसके अनुसार दिनांक 11-6-84 को कुल 1173 बीघा 16 बिस्वा भूमि का कब्जा लिया गया । शेष भूमि का कब्जा स्थगन आदेशों के कारण नहीं लिया गया । उक्त 1173 बीघा 16 बिस्वा भूमि का कब्जा लेकर मौके पर ही राजस्थान आवासन मण्डल के प्रतिनिधि को सम्भलवाया गया ।

4- उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् सम्बन्धित खातेदारों को अधिनियम की 9[3] के अन्तर्गत नोटिस जारी किये जाकर सम्बन्धित खसरा नम्बरों की भूमि का क्लेम प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमश:---3.

5- वर्तमान में उपरोक्त में से कुल 71 बीघा 03 बिस्वा का ही अवार्ड दिया जा रहा है । अवार्ड दिये जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0सं0	वाद संख्या	नाम खातेदार	खसरा नं0	भूमि का क्षेत्रफल बीघा	बिस्वा
1-	10/83(5)(अ)	श्री बाबू खाँ पुत्र भूरे खाँ	33	1 -	03
2-	10/83(5)(ब)	श्रीमती भौंरीदेवी पत्नि श्री गोपालजी छीपा 32/1554/		1 -	02
3-	10/83(27)	श्री लादूराम, नानगराम, रामू, नैनूराम पुत्र गंगल्या	307	0 -	09
4-	10/83(51)+(81)+(82)	श्री गुल्ला पुत्र टोडू	882	1 -	10
			970	0 -	14
			976	1 -	07
			988	0 -	07
			990	0 -	10
			991	0 -	16
			992	0 -	19
			1008	0 -	04
			1011	1 -	17
				8 -	04
			1058	0 -	17
			1067	1 -	05
				2 -	02
			1063	2 -	02
			1064	0 -	05
			1065	0 -	03
			1066	0 -	14
				3 -	04
	(51)+(81)+(32) कुल भूमि =			13 -	10

निर्देशाधिकारी
ग्रामीण विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः---4.

1-	2-	3-		5-1-
5-	10/83(63)	श्री भौंरी लाल, गोपाल, पेमा, मोहन पुत्र रामपाल	92[illegible]	1 - 09
			928	0 - 12
			929	0 - 02
			930	0 - 03
			932	0 - 02
			933	0 - 13
			934	0 - 01
			935	0 - 04
			967	0 - 01
			969	1 - 06
			971	1 - 01
			972	2 - 00
			974	1 - 14
			1059	1 - 17
			1041	0 - 14
				11 - 19
6-	10/83(69)	श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र रघुनाथ 1/2 हिस्सा महादेव पुत्र चन्दा 1/2 हिस्सा	964	2 - 10
			1047	0 - 14
			1048	0 - 10
			975	1 - 00
			977	2 - 11
				7 - 05
7-	10/83(75)	श्री चौथू पुत्र टोडू	993	1 - 03
			995	1 - 00
			1007	0 - 04
			1009/1018	0 - 16
			1010	0 - 18
			1012	0 - 19
				5 - 00

सत्यमेव जयते
राजस्थान, जयपुर

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमश:---5.

1-	2-	3-	4-	5-	6-
8-	10/83।89।	श्री भौंरीलाल, राधेश्याम, गोपाल पुत्र नारायण	12	0 -	07
			13	0 -	04
			14	0 -	09
			15	0 -	01
			17	0 -	10
			16 / 26	0 -	13
			19	0 -	02
			20	0 -	12
			21	1 -	13
			22	2 -	13
			24	1 -	11
			25	0 -	02
			27	0 -	18
			28	0 -	04
			92	0 -	10
			93	0 -	10
			94	0 -	02
			103	0 -	17
			104	1 -	01
			105	0 -	11
			96	0 -	03
			97	0 -	07
			98	0 -	04
			90	1 -	16
				16 -	00
9-	10/83।97।	श्री यशपाल पुत्र अमरनाथ भाटिया व जगदीप पुत्र राजकुमार भाटिया	69	14 -	15
			कुल :	71 -	03

क्रमशः---6.

उपरोक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त खातेदारों के नाम दर्ज है, अत: तदनुसार अवार्ड दिया जा रहा है ।

6- अधिनियम की धारा 9।3। के अन्तर्गत खातेदारों को नोटिस दिया गया जिसके उत्तर में उनके द्वारा क्लेम प्रस्तुत किया गया :-

1- वाद संख्या :- 10/83।5।अ। :- खातेदार - **बाबू खाँ पुत्र भूरे खाँ** : द्वारा प्रस्तुत क्लेम :-

---

1- भूमि का रकबा । बीघा 3 बिस्वा का मुआवजा बाजार मूल्य से 92000/- बनता है जिससे अप्रार्थी पाने का मुश्तहक है ।

2- यह कि उक्त भूमि में छायादार वृक्ष लगे हुये है जिनकी कीमती लकड़ी फूल पत्ती, फलों आदि से भारी मूल्य प्राप्त होता है इस भूमि में आम के तीन वृक्ष है जिनकी एक हजार रूपये प्रति आम की क्षति के अनुसार तीन हजार रूपये होता है, आवले के चार पेड़ मौजूद है जिसके पाँच सौ रूपये प्रति पेड़ के हिसाब से 2,000 रूपये क्षति बनती है, बोरड़ी के पेड़ 5 मौजूद है जिसमें 500 रूपये के हिसाब से 2500 रूपये क्षति बनती है । लेसव के 14 पेड़ है जिसमें 500 रूपये के हिसाब से 7000 रूपये बनता है । आडू के 8 पेड़ है जिसमें 1000 रूपये के हिसाब से 8000 रूपये बनता है, अनार के 30 पेड़ मौजूद है जिसमें 200 रूपये के हिसाब से 6000 रूपये बनते हैं । अमरूद के 5 पेड़ है जिसके 500 रूपये के हिसाब से 2500 रूपये बनते हैं सैतूत के 5 पेड़ है जिसके 500 रूपये के हिसाब से 2500 रूपये बनते हैं । बबूल के पेड़ एक है जिसकी क्षति 500 रूपये है । नीम के पेड़ 3 है जिसकी क्षति 1500 रूपये हैं । मोगरा के पेड़ 50 है, जिसकी क्षति 500 रूपये हैं । खजूर का पेड़ एक है जिसकी क्षति पाँच सौ रूपये हैं । सीताफल के पेड़ 4 है जिसकी क्षति 2000 रूपये हैं । नीबू का पेड़ एक जिसकी क्षति 500 रूपये है । कन्डीर के पेड़ 2 है जिसकी क्षति 200 रूपये है कुल 39,200/- रूपये बनते हैं, जिसे अप्रार्थी क्लेमेन्ट पाने का मुश्तहक है ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी

क्रमश:----7.

3- यह कि उक्त भूमि के पास अन्तर्राष्ट्रीय एरोड्रम सांगानेर स्थित है जो कि व्यापारिक केन्द्र है शिक्षण संस्थाएँ व अस्पताल है हाऊसिंग सोसाइटियाँ पहुँच चुकी है । अत: भूमि की पोटेन्सिल वैल्यू बढ़ गई है इस कारण उक्त भूमि की 60,000/- रूपये प्रति बीघा के हिसाब से अतिरिक्त क्षति बनती है । अत: 1,35,000/- रूपये क्षति के बनते हैं, जिसे अप्रार्थी क्लेमेन्ट पाने का मुस्तहक है ।

4- उक्त भूमि के चारों तरफ कच्ची बाउन्ड्री वाल बनी हुई है । जो (पडकाई) दोहरी है । यह 3800 फुट है जो 5 रूपये प्रति फुट के हिसाब से 19,000/- रूपये बनता है जिसको अप्रार्थी क्लेमेन्ट पाने का मुस्तहक है । उक्त भूमि में 200 कौंचे है जो 10 रूपये के हिसाब से 2000/- रूपये क्षति के बनते हैं, उक्त भूमि में एक छप्पर 15 बाई 10 का बना हुआ है, जिसकी कीमत 2,000/- रूपये है इस प्रकार कुल 23,000/- रूपये बनता है, जिसको अप्रार्थी क्लेमेन्ट पाने का मुस्तहक है ।

5- यह कि उक्त भूमि में सिंचाई हेतु एक पक्का कुआ बना हुआ है जिसमें पुख्ता कोठी की कीमत 44,000/- रूपये बोरिंग 110 फुट 6 इन्च पाईप 62 फुट . जिसकी मजदूरी सहित कीमत 15,000/- रूपये बिजली की एक मोटर तीन हार्स पावर मय लोहे के पाईप व फिटिंग सहित 10,000/- रूपये, पक्की होदी बनी हुई है, जिसके 2,000/- रूपये इस प्रकार कुल 71,000/- रूपये है जिसे अप्रार्थी क्लेमेन्ट पाने का मुस्तहक है ।

6- यह कि उक्त भूमि में सालाना गेहूँ की पैदावार 5 क्विन्टल जिसके 250/- रूपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से 1,250/- रूपये तथा अन्य फसलें 750/- रूपये की व सब्जी जिसमें टमाटर, बैंगन रंजका (चारा) आदि से 1,000/- रूपये । इस प्रकार कुल 3,000 रूपये की क्षति होती है, जिसे अप्रार्थी पाने का मुस्तहक है ।

7- यह कि उक्त भूमि का कब्जा दिनांक 11-6-84 को जेर दफा 17 भूमि अवाप्ति अधिनियम में अप्रार्थी क्लेमेन्ट से ले लिया गया, जिससे उसकी खड़ी फसल को नुकसान हुआ है । जिसका मुआवजा 29,000/- रूपये बनता है जिसे अप्रार्थी पाने का मुस्तहक है ।

क्रमश:-----8.

8- यह कि अप्रार्थी क्लेमेन्ट को उक्त भूमि को छोड़ना पड़ेगा मवेशियों को हटाना पड़ेगा तथा अन्यत्र सिफ्ट होना पड़ेगा जिससे काफी हार्डशिप होगी जिसकी 29,000/- रूपये क्षति बनती है ।

9- यह कि दिनांक 11-6-84 को अप्रार्थी की भूमि का कब्जा सरकार द्वारा ले लिया गया है, अत: मुआवजे की राशि के मिलने तक एक प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज दिलवाया जावे ।

10- यह कि अप्रार्थी क्लेमेन्ट खातेदार होने के नाते विधिवत कृषि भूमि में रिहायशी भवन बना सकता है, अत: उस उद्देश्य हेतु एक हजार गज का एक प्लाट दिलवाया जावे ।

11- यह कि उक्त भूमि अवाप्ति हेतु अप्रार्थी क्लेमेन्ट को विधिवत नोटिस तहत धारा 4 व 6 भूमि अवाप्ति अधिनियम में नहीं दिया गया है व उक्त भूमि की अवाप्ति प्लाट काटकर अधिक रूपया प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई है, अत: यह सार्वजनिक उद्देश्य नहीं है इस वजेह से उक्त भूमि अवाप्त नहीं की जा सकती व इसकी अवाप्ति अवैधानिक है जो निरस्तनीय है ।

12- यह कि इस प्रकार अप्रार्थी क्लेमेन्ट उपरोक्त भूमि की मुआवजा राशि 5,09,200/- रूपये अक्षरे पांच लाख नौ हजार दो सौ रूपये बनती है।

13- यह कि उक्त भूमि बाग की भूमि है जो कि प्रार्थी का एक मात्र आय का साधन है । उक्त भूमि की अवाप्ति के कारण अप्रार्थी अपनी रोजी रोटी से महरूम हो गया है अप्रार्थी का कोई और धन्धा नहीं है, अत: अप्रार्थी को उक्त भूमि की अवाप्ति के एवज में कहीं अन्यत्र और कृषि भूमि दिलवाई जावे ।

14- यह कि उक्त भूमि के पास अन्तराष्ट्रीय एरोड्रम सांगानेर स्थित है तो कि व्यापारिक केन्द्र है शिक्षण संस्थायें व अस्पताल है । हाऊसिंग सोसायटियां पहुँच चुकी है । अत: भूमि की पोटेन्सियल वैल्यू बढ गई है इस कारण उक्त भूमि की 60,000/- रूपये प्रति बीघा के हिसाब से अतिरिक्त क्षति बनती है । अत: 72,000/- रूपये क्षति के बनते हैं ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन
राजस्थान, जयपुर

क्रमश:---9.

2- वाद संख्या :- 10/83।5।ब। खातेदार - श्रीमती गौरी देवी पत्नि गोपाल जी छीपा द्वारा प्रस्तुत क्लेम :-

1-	कुल भूमि । बीघा ।4½ बिस्वा रेट प्रति बीघा 60,000/- रूपये		
2-	तीन तरफ बाउन्ड्री वाल की कुल लागत		40,000/-
3-	पेड आम के	10	1,000/-
4-	करोन्दे के पेड	6	500/-
5-	नीबू के पेड	2	500/-
6-	अरड के पेड	4	300/-

3- वाद संख्या :- 10/83।27। खातेदार - श्री लादूराम, नानगराम, रामू, नैनूराम, पुत्र गंगल्या द्वारा प्रस्तुत क्लेम :-

उपरोक्त वाद में खातेदार द्वारा कोई क्लेम पेश नहीं किया गया, अत: इकतरफा कार्यवाही की गई ।

4- वाद संख्या :- 10/83।51।, ।81।, ।82। :- खातेदार - श्री गुल्ला पुत्र टोडू द्वारा प्रस्तुत क्लेम :-

अ।1। भूमि का मुआवजा	8,13,000/-
अ।2। कुआ पम्पसैट मुआवजा	1,32,000/-
अ।3। होद, धोरे, पाईप, घुमटी	17,150/-
अ।4। डोली, फसल वृक्ष	2,38,900/-
अ।5। कच्चा घर	4,000/-
अ।6। आमद स्त्रोत समाप्ति	10,000/-
अ।7। क्लेम पैरवी का हर्जा	500/-
	12,31,850/-

अनिवार्य अवाप्ति के 10% वृद्धि के पश्चात् 13,37,215/- व 6% ब्याज वार्षिक दर से कब्जा लेने के दिन से मुआवजा दिये जाने के दिन तक ब्याज दिया जावे व अन्य दादरसी दी जावे ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान, जयपुर

क्रमश:----10.

5- वाद संख्या :- 10/83163। खातेदार - श्री भौरीलाल, गोपाल, पेमा, मोहन, पुत्र रामपाल द्वारा प्रस्तुत क्लेम :-

1-	भूमि का मुआवजा	7,17,000/-
2-	कुआ मय पम्पसेट मुआवजा	1,20,000/-
3-	होद, धोरे, पाईप, घुमटी	5,800/-
4-	डोली, फसल, वृक्ष	74,000/-
5-	कच्चा घर	19,000/-
6-	आमद स्त्रोत समाप्ति	20,000/-
7-	शेष बची भूमि	2,500/-
8-	क्लेम पैरवी हर्जा	500/-
		9,58,800

अनिवार्य अवाप्ति के 10% वृद्धि के पश्चात् 10,54,680/- व 6% ब्याज वार्षिक दर से कब्जा लेने के दिन से मुआवजा दिये जाने के दिन तक ब्याज दिया जावे व अन्य दादरसी दी जावे ।

6- वाद संख्या :- 10/83169। खातेदार - श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र रघुनाथ 1/2 हिस्सा, महादेव पुत्र चन्दा 1/2 हिस्सा द्वारा प्रस्तुत क्लेम :-

1-	भूमि का मुआवजा	4,20,000/-
2-	होद, धोरे, पाईप, घुमटी	2,900/-
3-	डोली, फसल, वृक्ष	20,400/-
4-	कच्चा घर	1,000/-
5-	आमद स्त्रोत समाप्ति	10,000/-
6-	शेष बची भूमि	5,000/-
7-	क्लेम पैरवी का हर्जा	500/-
		4,59,800/-

अनिवार्य अवाप्ति के 10% वृद्धि के पश्चात् 5,05,780/- व 6% ब्याज वार्षिक दर से कब्जा लेने के दिन से मुआवजा दिये जाने के दिन तक ब्याज दिया जावे व अन्य दादरसी दी जावे ।

क्रमशः---11.

7- वाद संख्या :- 10/83{75} खातेदार - श्री चौथू पुत्र टोडू द्वारा प्रस्तुत क्लेम :-

1-	भूमि का मुआवजा	3,00,000/-
2-	कुआ पम्पसैट मुआवजा	22,500/-
3-	होद, धोरे, पाईप, घूमटी	11,275/-
4-	डोली, फसल, वृक्ष	58,700/-
5-	कच्चा घर	1,000/-
6-	आमद स्त्रोत समाप्ति	10,000/-
7-	शेष बची भूमि	2,000/-
8-	क्लेम पैरवी का हर्जा	500/-
	विभिन्न मदों का कुल योग :	4,05,975/-

अनिवार्य अवाप्ति के 10% वृद्धि के पश्चात् 4,46,572/- व 6% ब्याज वार्षिक दर से कब्जा लेने के दिन से मुआवजा दिये जाने के दिन तक ब्याज दिया जावे व अन्य दादरसी दी जावे ।

8- वाद संख्या :- 10/83{89} खातेदार - भौंरीलाल, राधेश्याम, गोपाल पुत्र श्री नारायण द्वारा प्रस्तुत क्लेम :-

उपरोक्त वाद में खातेदार द्वारा कोई क्लेम पेश नहीं किया गया, अत: इकतरफा कार्यवाही की गई ।

9- वाद संख्या :- 10/83{97} खातेदार - श्री यशपाल पुत्र अमरनाथ भाटिया व जगदीप पुत्र राजकुमार भाटिया द्वारा प्रस्तुत क्लेम :-

1-	पक्का कुआ	40,000/-
2-	बोरिंग	40,000/-
3-	बिजली फिटिंग एवं पाईप आदि	25,000/-
4-	पेड़ों की कीमत	70,000/-
5-	एक बड़ का पेड़	5,000/-
6-	पक्की बिजली घुमटी	5,000/-
7-	पक्की कम्पाउन्ड वाल	25,000/-
8-	कच्ची डोली	10,000/-

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमश:---12.

9-	एक पक्का कमरा	25,000/-
10-	ईंटों की कीमत	10,000/-
11-	11 बीघा भूमि की कीमत 80,000/- प्रति बीघा	8,80,000/-
12-	शेष बची हुई भूमि 3 बीघा 15 बिस्वा 60,000/- प्रति बीघा	1,89,000/-
	कुल	13,24,000/-

7- राजस्थान आवासन मण्डल ने दावेदारों के क्लेम का उत्तर प्रस्तुत कर क्लेम में मांगी गई क्षति पूर्ति की राशि को अधिक बताते हुए अस्वीकार किया तथा यह बताया कि भूमि की कीमत अधिक से अधिक 10,000/- रूपये प्रति बीघा हो सकती है।

8- भूमि पर स्थित स्ट्रेक्चर्स के सम्बन्ध में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निम्न प्रकार सूचित किया गया :-

1- वाद संख्या :- 10/83ग5ग अग खातेदार - श्री बाबू खाँ पुत्र भूरे खाँ :-

1- थैच रूफ	261.80
2- आर.सी.सी.वेल	19,925.00
3- बोरिंग	8,504.000
4- बिजली की घुमटी	255.75
कुल :	28,946/-

2- वाद संख्या :- 10/83ग5ग बग खातेदार - श्रीमती भौंरी देवी पत्नि श्री गोपाल छीपा :-

1- चार दीवारी ईंटों की	5,604.00
2- स्टील कम्पाउन्ड गेट	1,050.00
3- स्टोन मैसोनरी टो वाल	189.31
कुल :	6,843.31

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः:-----13.

3- 3- वाद संख्या :- 10/83।27। खातेदार - श्री लादूराम, नानगराम, रामू, नैनूराम पुत्र गंगल्या :-

1- निर्माण	10,582.35
2- निर्माण	4,552.96
3- निर्माण	14,298.96
4- झौपड़ी	685.42
कुल :	30,119.69

4- वाद संख्या :- 10/83।51।, ।81।, ।82। खातेदार - श्री गुल्ला पुत्र टोडू :-

1- कुआ	5,528.50
2- बोरिंग	9,663.75
3- घुमटी होदी वगैरह	1,602.65
कुल :	16,794.90

5- वाद संख्या :- 10/83।63। खातेदार - श्री भौंरीलाल, गोपाल, पैमा, मोहन पुत्र रामपाल :-

1- कच्चा निर्माण ।ख0नं0 969।	5,063.88
2- पक्का निर्माण ।ख0नं0 969।	62,882.37
3- कुआ, प्लेटफार्म, घुमटी, होदी, ।ख0नं0 967।	5,600.53
4- कुआ, प्लेट फार्म, घुमटी, होदी ।ख0नं0 934।	5,817.78
5- बोरिंग ।ख0नं0 934 व 967।	19,327.50
कुल :	98,692.06

6- वाद संख्या :- 10/83।69। खातेदार - श्री लक्ष्मीनाराण पुत्र रघुनाथ 1/2 हिस्सा, महादेव पुत्र चन्दा 1/2 हिस्सा :-

1- होदी	523.60
कुल :	523.60

विशेषाधिकारी

क्रमशः---14.

7- वाद संख्या :- 10/83।75। खातेदार - श्री चौथ पुत्र टोडू :-

1-	थेच रूफ हट	1,098.68
2-	मड वाल-थैच रूफ हट	2,235.00
3-	पक्का निर्माण	27,787.48
	कुल :	31,129.16

8- वाद संख्या :- 10/83।89। खातेदार - भौंरीलाल, राधेश्याम, गोपाल पुत्र नारायण :-

1-	मैसेनरी वैल	9,912.64
2-	बौरिंग	7,225.68
3-	बिजली की घुमटी	280.77
4-	प्लेट फार्म	606.51
5-	कम्पाउन्ड वॉल	1,203.72
6-	थेच रूफ हट	2,193.62
7-	ब्रिक हट	915.10
8-	मडवाल थेच रूफ हट	1,110.62
9-	कुआ	16,590.94
10-	बोरिंग	7,653.69
11-	बिजली की घुमटी	285.77
12-	वाटर टैंक	202.59
13-	थैच रूफ हट	287.10
14-	थैच रूफ मॅडवाल हट	2,738.68
	कुल :	51,207.43

9- वाद संख्या :- 10/83।97। खातेदार - श्री यशपाल पुत्र अमरनाथ भाटिया व जगदीप पुत्र राजकुमार भाटिया :-

1-	मैसोनरी वैल	7,250.40
2-	प्लेटफार्म एवं घुमटी	1,175.48
3-	वाटर टैंक	246.96
4-	चार दीवारी	6,556.84
	कुल :	15,229.68

निरीक्षाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

9- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने जवाब के समर्थन में तीन विक्रय पत्र क्रमश: दिनांक 24 अक्टूबर, 1983, 15 मार्च, 1984 एवं 30 मई, 1983 की प्रतियाँ पेश की गई ।

10- सम्बन्धित दावेदारों द्वारा विक्रय पत्रों के दस्तावेज अपने पक्ष में समर्थन में पेश किये गये, जो कि पत्रावलियों में संलग्न है ।

11- उपरोक्त मामलों में दावेदारों द्वारा अपनी भूमि के मुआवजे हेतु भूमि की दर 60,000/- रूपये प्रति बीघा तक दिये जाने की मांग की है ।

12- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने जवाब में यह अंकित किया गया है कि इस कृषि भूमि की कीमत अधिक से अधिक रूपये 10,000/- प्रतिबीघा हो सकता है, इससे अधिक कदापि नहीं एवं अपने इस कथन के समर्थन में उनके द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 24-10-83 जिसमें ग्राम श्योपुर की 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि रूपये 29,999/- में बेची गई है, की फोटो प्रति पेश की है जिसके अनुसार उक्त भूमि की कीमत रूपये 9,523/- प्रति बीघा है, किन्तु इस विक्रय पत्र का अध्ययन करने यह तथ्य जानकारी में आता है एवं यह विक्रय पत्र में अंकित भी किया गया है :-

" यह भूमि बम्बाला की नदी के पास स्थित है । विगत बाढ़ के समय आधी से ज्यादा जमीन नदी की चोट में आ जाने से खाले पड़ रहे है तथा आधी से अधिक जमीन नदी के रूप में है तथा शेष डेढ़ या पोने दो बीघा जमीन ही कार्य की है । उक्त भूमि पर किसी प्रकार की पैदावार नहीं की जाती है ।

इस प्रकार यह विक्रय पत्र की प्रति जो पेश की गई है उसमें विक्रय तो 3 बिस्वा दिया जाना बताया गया है, लेकिन वास्तविक रूप से जमीन आधी या चौथाई ही विक्रय की गई है एवं चूँकि इस भूमि में किसी प्रकार की पैदावार नहीं की जाती है इसलिये इस विक्रय पत्र के आधार पर वर्तमान में मामले में भूमि की दर निश्चित किया जाना मेरे विचार से न्यायोचित नहीं होगा ।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने समर्थन में अन्य विक्रय पत्र दिनांक 15-3-84 की प्रति पेश की गई है, जिसमें ग्राम श्योपुर में 8 बीघा 01 बिस्वा भूमि का आधा हिस्सा रूपये 30,000/- में विक्रय किया गया, जिसके अनुसार भूमि की दर लगभग 7,500/- प्रति

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

बीघा है । इस विक्रय पत्र के अन्त में यह लिखा गया है कि विक्रय की गई कृषि भूमि कस्बे से करीबन 3 किलो मीटर अन्दर क्षेत्र में है तथा भूमि किसी भी रोड साईड पर नहीं है एवं बारानी है ।

इस प्रकार इस विक्रय पत्र के द्वारा कस्बे से 3 किलो मीटर अन्दर जाकर भूमि विक्रय की गई है, अत: इस विक्रय पत्र के आधार पर वर्तमान मामले में भूमि की दर तय किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में ग्राम बम्बाला की 7 बीघा 18 बिस्वा भूमि का 1/3 हिस्सा दिनांक 30-3-83 को रूपये 25,000/- में विक्रय किये जाने पर विक्रय पत्र की फोटो प्रति पेश की है जिसके अनुसार भूमि की दर लगभग 9,500/- आती है । इस विक्रय पत्र में यह नोट लिखा गया है कि विक्रय की गई कृषि भूमि टोंक रोड से करीबन 1-1/2 मील अन्दर क्षेत्र में है, इसलिये मेरे विचार से इस विक्रय पत्र के आधार पर वर्तमान मामलों में भूमि की दर तय किया जाना न्यायोचित नहीं होगा ।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त अपने पक्ष के समर्थन में कोई अन्य सबूत या दस्तावेज पेश नहीं किया गया है ।

13- सम्बन्धित दावेदारों द्वारा अपने क्लेम के समर्थन में विक्रय पत्रों की प्रतियां पेश की है उन मामलों में भूमि का एक छोटा सा हिस्सा ही विक्रय किया गया है एवं भूमि की स्थिति भी भिन्न है । भूमि के एक छोटे से हिस्से को विक्रय किये जाने की दर को राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विशाल स्तर पर अवाप्त किये जाने वाली भूमि के मुआवजे का आधार नहीं बनाया जा सकता, अत: इन विक्रय पत्रों के आधार पर वर्तमान मामलों में भूमि की दर तय किया जाना मेरे विचार में न्यायोचित नहीं होगा ।

14- इसके अतिरिक्त सम्बन्धित दावेदारों द्वारा न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत-2 जयपुर एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी जिलाधीश कार्यालय, जयपुर क्रमश: दिनांक 4-2-85 एवं 20-2-85 व 15-6-85 की फोटो प्रतिलिपियों पेश की गई है जिनके अनुसार भूमि का मुआवजा लगभग रूपये 40,000/- प्रति बीघा की दर से तय किया गया है, किन्तु इन मामलों में सम्बन्धित विभागों

क्रमश:---17.

94

की भूमि विशेष की ही आवश्यकता होने के कारण यह मुआवजा दिया गया है । अत: इन अवार्डों के आधार पर भी वर्तमान मामलों में भूमि की दर तय किया जाना मेरे विचार से न्यायोचित नहीं होगा ।

15- मैंने इन प्रकरणों से सम्बन्धित मौके का निरीक्षण किया एवं पत्रावलियों में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया तथा सम्बन्धित पक्षकारों की बहस सुनी । यह भूमि जयपुर शहर के निकट सांगानेर टाउन के समीप स्थित है एवं इसके समीप ही सांगानेर हवाई अड्डा भी स्थित है । अत: भविष्य में होने वाले विकास के दृष्टिकोण से भूमि की स्थिति बहुत महत्त्वपूर्ण है । अत: मैं भूमि की पोटेन्शियलीटी के आधार पर एवं सांगानेर टाउन के समीप होने के कारण एवं भविष्य में होने वाले विकास को दृष्टिगत रखते हुये मौके मुआयने के अनुसार भूमि का मुआवजा दिया जाना न्यायोचित समझता हूँ ।

16- इन मामलों में से वाद संख्या 10/83॥97॥ में मौका मुआयना के समय यह जानकारी में आया कि मौके पर कुएँ में बोरिंग किया हुआ है व साथ ही मीटर रूम बना हुआ है, तथा भूमि में 175 बड़े पेड़, 50 मध्यम आकार के पेड़, 75 छोटे बबूल, 1 बड़ का बड़ा पेड़, तथा एक बड़ व एक नीम मध्यम श्रेणी के हैं । इन सभी का तकमीना पेश करने हेतु राजस्थान आवासन मण्डल को निर्देश दिये गये, किन्तु उनके द्वारा तकमीना पेश नहीं किये जाने के कारण खातेदारों द्वारा प्रस्तुत किये गये, तकमीना जो केन्द्रीय सरकार द्वारा रजिस्टर्ड वैल्यूवर द्वारा तैयार किया गया है, को स्वीकार किया जाता है एवं पेड़ों का तकमीना मौके की स्थिति के अनुसार स्वीकार किया जाता है ।

17- इन सभी मामलों में मुआवजा निर्धारण करते समय सबसे बड़ी कठिनाई अल्सर एक्ट बाबत आयी, क्योंकि जो भूमि अल्सर एक्ट से प्रमाणित है, उनका अवार्ड भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत नहीं किया जा सकता है । अत: उपरोक्त मामलों में सम्बन्धित भूमि के अल्सर एक्ट से प्रभावित होने के बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु राजस्थान आवासन मण्डल को अनेकों बार लिखा गया एवं व्यक्तिगत रूप से भी निवेदन किया गया, किन्तु उनके द्वारा कोई स्पष्ट रिपोर्ट निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष इन भूमियों के अल्सर एक्ट से प्रभावित नहीं होने के बाबत पेश नहीं की गयी । अनेकों बार स्मरण करवाने के पश्चात्

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने पत्र क्रमांक: प01§4§ भू.अ./677 दिनांक 25-5-88 द्वारा, सक्षम अधिकारी §प्रथम§ नगर भूमि कर विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक 1616 दिनांक 5-12-87 के साथ में अधिनियम की धारा 10§5§से प्रभावित भूमि एवं धारा 10§6§ के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण को कब्जा दी गयी भूमि की सूची की फोटो प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की गयी एवं मौखिक रूप से यह बताया गया कि जो भूमि अल्सर एक्ट से प्रभावित है, उसके खसरा नम्बर सूची में दर्ज हैं, एवं जिनके खसरा नं0 सूची में नहीं है वह अल्सर एक्ट से प्रभावित नहीं है । इन परिस्थितियों में स्पष्ट सूचना प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी चूँकि उपरोक्त मामलों की भूमि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रस्तुत सूची में अंकित नहीं है । इस आधार पर यह अवार्ड जारी किया जा रहा है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावेदारों के हक में मुआवजे का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

1- वाद संख्या :- 10/83§5§अ§ खातेदार - श्री बाबू खाँ पुत्र भूरे खाँ :-

1-	भूमि खसरा नं0 33 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा मुआवजा 26,000/- प्रति बीघा की दर से -	29,900/-
2-	कुएँ व अन्य निर्माण का तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार -	28,946/-
	कुल :	58,846/-
2-	30% सोलेशियम की राशि रूपये -	17,653.80
3-	धारा 23§1§ "ए" के अनुसार धारा 4§1§ की दिनांक 22-8-83 से कब्जे की दिनांक 11-6-84 तक 12% की दर से ब्याज रूपये -	5,610.52

उपरोक्त मुआवजे की राशि पर कब्जे की दिनांक 11-6-84 से एक वर्ष की अवधि तक 9% की दर से तथा तत्पश्चात् भुगतान की दिनांक तक 15% ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः---19.

2- वाद संख्या :- 10/83(5)(ब) खातेदार - श्रीमती भौंरी देवी पत्नि गोपाल छीपा :-

=-=

1- भूमि खसरा नं0 32/1554 रकबा 1-02 का मुआवजा रूपये 26,000/- प्रति बीघा की दर से -	28,600.00
2- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रस्तुत तकमीना रूपये -	6,843.31
कुल :	35,443.31
3- 30% सोलेशियम की राशि रूपये -	10,632.99

4- धारा 23(1) "ए" के अनुसार धारा 4(1) की दिनांक 22-8-83 से कब्जे की दिनांक 11-6-84 तक रूपये 35,443.31 का ब्याज 12% की दर से तथा कुल मुआवजे की राशि रूपये 46,076.30 पर कब्जे की दिनांक 11-6=84 से एक वर्ष तक 9% की दर से तथा तत्पश्चात् भुगतान की दिनांक तक 15% प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

3- वाद संख्या :- 10/83(27) खातेदार - श्री लादूराम, नानगराम, रामू, नैनूराम पुत्र गंगल्या :-

=-=

1- भूमि 9 बिस्वा का मुआवजा रूपये 24,000/- प्रति बीघा की दर से रूपये-	10,800.00
2- निर्माण का तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार	30,119.69
3- तथा पेड़ों का तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रूपये -	400.00
कुल :	41,319.69
4- 30% सोलेशियम की राशि रूपये -	12,395.91

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः:----20.

रूपये 41,319.69 का धारा 23।। "ए" के अनुसार धारा 4।। की दिनांक 22-8-83 से कब्जे की दिनांक 11-6-84 तक 12% की दर से तथा रूपये 53,715.60 का कब्जे की दिनांक 11-6-84 से एक वर्ष की अवधि तक 9% तथा तत्पश्चात् भुगतान की दिनांक तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

4- वाद संख्या :- 10/83।51।, ।81।, ।82। खातेदार - श्री गुल्ला पुत्र टोडू :-

1-	कुल भूमि 13 बीघा 10 बिस्वा का मुआवजा रूपये 24,000/- प्रति बीघा की दर से रूपये -	3,24,000.00
2-	कुएँ, बोरिंग, होदी का तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रूपये -	16,794.90
	कुल :	3,40,794.90
3-	30% सोलेशियम की राशि रूपये -	1,02,238.47

रूपये 3,40,794.90 का धारा 23।। "ए" के अनुसार धारा 4।। की दिनांक 22-8-83 से कब्जे की दिनांक 11-6-84 तक 12% की दर से ब्याज तथा कुल मुआवजा रूपये 4,43,033.37 का कब्जे की दिनांक 11-6-84 से एक वर्ष तक 9% की दर से तथा तत्पश्चात् भुगतान की दिनांक तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

5- वाद संख्या :- 10/83।63। खातेदार - श्री भौंरीलाल, गोपाल, पेमा, मोहन पुत्र रामपाल :-

1-	कुल भूमि 11 बीघा 19 बिस्वा का मुआवजा रूपये 24,000/- प्रति बीघा की दर से रूपये -	2,86,800.00
2-	कुआँ, बोरिंग व अन्य निर्माण का तकमीना -	98,692.06
	कुल :	3,85,492.06

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान, जयपुर

---21.

3- 30% सोलेशियम की राशि रूपये - 1, 15, 647.61

उपरोक्त रूपये 3, 85, 492.06 पर धारा 23॥1॥ "ए" के अनुसार धारा 4॥1॥ की धदिनांक 22-8-83 से कब्जे की दिनांक 11-6-84 तक 12% की दर से तथा कुल मुआवजा रूपये 5, 01, 139.67 पर कब्जे की दिनांक 11-6-84 से एक वर्ष तक 9% की दर से तथा तत्पश्चात् 15% की दर से ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

6- वाद संख्या :- 10/82॥69॥ खातेदार - श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र रघुनाथ 1/2 हिस्सा, महादेव पुत्र चन्दा 1/2 हिस्सा :-

1-	कुल भूमि 7 बीघा 5 बिस्वा का मुआवजा रूपये 24, 000/- प्रति बीघा की दर से रूपये -	1, 74, 000.00
2-	होदी का तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रूपये -	523.60
	कुल :	1, 74, 523.60
3-	30% सोलेशियम की राशि रूपये -	52, 357.08

उपरोक्त रूपये 1, 74, 523.60 का धारा 23॥1॥ "ए" के अनुसार धारा 4॥1॥ की दिनांक 22-8-83 से कब्जे की दिनांक 11-6-84 तक 12% की दर से ब्याज तथा रूपये 2, 26, 880.68 का कब्जे की दिनांक 11-6-84 से एक वर्ष तक 9% की दर से तथा तत्पश्चात् भुगतान की दिनांक तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

7- वाद संख्या :- 10/83॥75॥ खातेदार - श्री चौथू पुत्र टोडू :-

1-	कुल भूमि 5 बीघा का मुआवजा रूपये 25, 000/- रूपये प्रति बीघा की दर से रूपये-	1, 25, 000.00
2-	निर्माण का तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रूपये -	31, 121.16

जिलाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः:-----22

99

3- पेडों का तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल के आवासीय अभियन्ता के अनुसार - 7,900.00

कुल : 1,64,021.16

4- 30% सोलेशियम की राशि रूपये - 49,206.35

धारा 23(1) "ए" के अनुसार रूपये 1,64,021.16 का धारा 4(1) की दिनांक 22-8-83 से कब्जे की दिनांक 11-6-84 तक 12% की दर से तथा कुल मुआवजा रूपये 2,13,227.51 का कब्जे की दिनांक 11-6-84 से एक वर्ष तक 9% की दर से तथा तत्पश्चात् भुगतान की दिनांक तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

8- वाद संख्या : 10/83(89) खातेदार श्री भौंरीलाल, राधेश्याम, गोपाल पुत्र नारायण :-

1- भूमि 16/ बीघा का मुआवजा रूपये 26,000/- प्रति बीघा की दर से रूपये - 4,16,000.00

2- कुएँ, बोरिंग व निर्माण का तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार - 51,207.43

कुल 4,67,207.43

3- 30% सोलेशियम की राशि रूपये - 1,40,162.22

उपरोक्त राशि रूपये 4,67,207.43 पर धारा 23(1) "ए" के अनुसार धारा 4(1) की दिनांक 22-8-83 से कब्जे की दिनांक 11-6-84 तक 12% की दर से तथा कुल मुआवजा 6,07,369.65 का कब्जे की दिनांक 11-6-84 से एक वर्ष तक की अवधि का 9% की दर से तथा तत्पश्चात् भुगतान की दिनांक तक 15% की दर से ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा वक्त भुगतान की जावेगी ।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः:---23.

100

19- वाद संख्या :- 10/83॥97॥ खातेदार - श्री यशपाल पुत्र अमरनाथ भाटिया व जगदीश पुत्र राजकुमार भाटिया :-

1-	भूमि 14 बीघा 15 बिस्वा का मुआवजा रूपये 26,500/- प्रति बीघा की दर से रूपये -	3,90,875.00
2-	कुएँ, प्लेटफार्म, घुमटी, बाहर टैंक तथा चार दीवारी का तकमीना रूपये -	15,229.68
3-	ट्यूब वैल का तकमीना रूपये -	16,283.00
4-	मीटर रूम का तकमीना रूपये -	1,000.00
5-	पेड़ों का तकमीना रूपये -	27,150.00
	कुल :	4,50,537.68
6-	30% एसोलेशियम की राशि रूपये -	1,35,161.30

उपरोक्त राशि रूपये 4,50,537.68 पर धारा 25॥1॥ "ए" के अनुसार धारा 4॥1॥ की दिनांक 22-8-83 से कब्जे की दिनांक 11-6-84 तक 12% की दर से अतिरिक्त राशि तथा कुल मुआवजा रूपये 5,85,698.98 पर कब्जे की दिनांक 11-6-84 से 10-6-85 तक 9% की दर से तथा 11-6-85 से भुगतान की दिनांक तक 15% की दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी एवं इस राशि में से पूर्व में दिनांक 2-7-88 को रूपये 2,12,400/- का चैक सं0 629706 द्वारा जो भुगतान किया गया है, वह राशि पर 2-7-88 से भुगतान की दिनांक तक ब्याज सहित गणना कर काट ली जावेगी एवं शेष राशि के दो बराबर भागों में क्रमश: श्री यशपाल भाटिया पुत्र अमरनाथ भाटिया व जगदीप भाटिया पुत्र राजकुमार भाटिया के नाम के प्रथम प्रथक चैक तैयार कर प्रेषित किये जावेंगे ।

उपरोक्त अवार्ड राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ग्रुप-3 विभाग के पत्र क्रमांक प-7॥3॥नविआ/3/83 दिनांक 23-12-88 के द्वारा अनुमोदित किया जाकर राज्य सरकार द्वारा पुष्टि कर दी गयी है । अत: आज दिनांक 28-12-88 को कुल 71 बीघा 03 बिस्वा भूमि के मुआवजे का अवार्ड उपरोक्तानुसार घोषित किया जाता है । इसकी प्रतियाँ सम्बन्धित को नियमानुसार प्रेषित हों ।

अवार्ड सरे इजलास घोषित किया गया एवं मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर के साथ जारी किया गया ।

विशेषाधिकारी,
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है :-

1- श्रीमान् शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

2- सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।

3- तहसीलदार, सांगानेर (जयपुर)

4- सम्बन्धित खातेदार श्री ------------------------------